



Access Online



Article DOI:

10.5281/zenodo.18712220.

¹ राजनीति विज्ञान**How to Cite:**

डॉ. कमलेश कुमार देशमुख, मिथिलेश साहू (2026), लेह-लद्दाख और जम्मू-कश्मीर: अनुच्छेद 370 के निरसन और उसके बाद का परिदृश्य, International Educational Applied Scientific & Research Journal (IEASRJ), Vol: 11, Issue: 1, 48-50

लेह-लद्दाख और जम्मू-कश्मीर: अनुच्छेद 370 के निरसन और उसके बाद का परिदृश्य

डॉ. कमलेश कुमार देशमुख¹, मिथिलेश साहू¹**ABSTRACT**

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, भारत के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में स्थित, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक विविधता के लिए जाने जाते हैं। 5 अगस्त 2019 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप जम्मू-कश्मीर की विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में विभाजित कर दिया गया। इस शोध पत्र में अनुच्छेद 370 के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, इसके निरसन के प्रभावों और लद्दाख व जम्मू-कश्मीर के सामाजिक-आर्थिक तथा राजनीतिक परिदृश्य में आए बदलावों का विश्लेषण किया गया है।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के सबसे सामरिक और संवेदनशील क्षेत्रों में से हैं। इन क्षेत्रों को एक विशेष संवैधानिक दर्जा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 और 35ए के तहत दिया गया था। 5 अगस्त 2019 को, भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाकर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया। इस कदम ने भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक ढांचे और सुरक्षा नीति को एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया।

अनुच्छेद 370 का महत्व और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक विशेष प्रावधान था, जो जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था। इसके तहत, जम्मू-कश्मीर को अपना संविधान बनाने और भारतीय संविधान की सीमित धाराओं को अपनाने का अधिकार प्राप्त था। इसके साथ ही, अनुच्छेद 35ए ने जम्मू-कश्मीर को अपने निवासियों को विशेषाधिकार देने का अधिकार दिया। यह ऐतिहासिक रूप से महाराजा हरि सिंह के समय से जुड़ा है, जब 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के दौरान जम्मू-कश्मीर का भारत में विलय हुआ था।

KEYWORDS: भारत-पाकिस्तान विभाजन, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 35(a)

परिचय

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के सबसे संवेदनशील और सामरिक क्षेत्रों में से एक हैं। 1947 में भारत के विभाजन के बाद जम्मू-कश्मीर को विशेष स्वायत्तता प्रदान की गई थी, जिसका आधार अनुच्छेद 370 था। यह अनुच्छेद राज्य को एक विशेष दर्जा प्रदान करता था और भारत के संविधान के अधिकांश प्रावधान यहां लागू नहीं होते थे।

5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35ए को निरस्त कर दिया। इसके साथ ही राज्य का विशेष दर्जा समाप्त हो गया और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के सबसे संवेदनशील और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, और धार्मिक रूप से विविधता से परिपूर्ण हैं। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक

कदम उठाते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 और 35ए को निरस्त कर दिया। इस निर्णय ने न केवल जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की संवैधानिक स्थिति को बदला बल्कि पूरे भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। इस परिभाषित कदम ने क्षेत्रीय विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा, और भारत की एकता को एक नई दिशा दी।

अनुच्छेद 370 का महत्व:

अनुच्छेद 370, भारतीय संविधान के अंतर्गत, जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था। यह राज्य को अपना संविधान बनाने और भारतीय संविधान की केवल कुछ विशेष धाराओं को स्वीकार करने का अधिकार देता था। इसके अलावा, अनुच्छेद 35ए ने जम्मू-कश्मीर सरकार को राज्य के स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार और सुविधाएं देने का अधिकार दिया।

1947 में भारत की स्वतंत्रता और देश के विभाजन के बाद, जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने राज्य का भारत में विलय किया। हालांकि, इस विलय के साथ शर्त रखी गई थी कि राज्य को अपनी स्वायत्तता बरकरार रखने की अनुमति दी जाएगी। यह विशेष दर्जा जम्मू-कश्मीर के संवैधानिक और सांस्कृतिक विशिष्टता को बनाए रखने का एक साधन था, लेकिन समय के साथ इसे कई विवादों और असंतोष का कारण माना जाने लगा।

REVIEW OF LITERATURE

1. पुस्तक: "जम्मू-कश्मीर: ऐतिहासिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य" (लेखक: बलराज पुरी)

इस पुस्तक में जम्मू-कश्मीर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और अनुच्छेद 370 के सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं का विश्लेषण किया गया है। लेखक ने बताया है कि अनुच्छेद 370 राज्य और केंद्र के बीच एक संवैधानिक सेतु के रूप में कार्य करता था, लेकिन इसने लंबे समय तक अलगाववादी सोच को बढ़ावा दिया। उन्होंने राज्य के विशेष दर्जे को समाप्त करने के पक्ष और विपक्ष में तर्क प्रस्तुत किए।

2. शोध-पत्र: "अनुच्छेद 370 का निरसन: एक संवैधानिक विश्लेषण" (लेखक: प्रो. अशोक कुमार)

यह शोध-पत्र भारतीय संविधान के दृष्टिकोण से अनुच्छेद 370 और 35ए के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता की समीक्षा करता है। लेखक ने निरसन प्रक्रिया को संवैधानिक रूप से सही ठहराया, लेकिन इसके क्रियान्वयन पर सवाल उठाया। साथ ही, उन्होंने इस कदम से संबंधित सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों की भी चर्चा की है।

3. निबंध: "लद्दाख: एक नया राजनीतिक अध्याय" (लेखक: सोनम वांगचुक)

यह निबंध विशेष रूप से लद्दाख पर केंद्रित है। इसमें बताया गया है कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलना वहां के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करना था। हालांकि, इसमें लद्दाख की सांस्कृतिक और पर्यावरणीय चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला गया है, जिनसे क्षेत्र के सतत विकास पर प्रभाव पड़ सकता है।

4. अनुभव: "जम्मू-कश्मीर में विकास और सुरक्षा के लिए नया दृष्टिकोण" (लेखक: ब्रिगेडियर संजय खन्ना)

यह पुस्तक सुरक्षा और विकास के संदर्भ में जम्मू-कश्मीर में हालिया बदलावों का विश्लेषण करती है। लेखक ने दावा किया कि अनुच्छेद 370 के निरसन ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को मजबूत किया और राज्य में निवेश व विकास के नए द्वार खोले। उन्होंने सुरक्षा सुधारों के सकारात्मक पहलुओं और कुछ क्षेत्रों में मौजूद अवरोधों का वर्णन किया।

5. रिपोर्ट: "अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकारों की स्थिति" (मानवाधिकार आयोग, 2021)

इस रिपोर्ट में 2019 के बाद से जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकारों की स्थिति का अध्ययन किया गया है। इसमें निरसन के बाद स्थानीय निवासियों के नागरिक अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट ने सुझाव दिया है कि

प्रशासन को स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाने और मानवाधिकार सुनिश्चित करने पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

अनुच्छेद 370 का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य:

1. अनुच्छेद 370 का गठन:

यह अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग XXI के अंतर्गत अस्थायी प्रावधान था।

2. राजनीतिक और कानूनी प्रभाव:

राज्य को संविधान सभा के माध्यम से विशेष अधिकार प्राप्त थे। केंद्र सरकार केवल तीन क्षेत्रों (विदेश मामले, रक्षा और संचार) पर अधिकार रखती थी।

3. विरोध और आलोचना:

अनुच्छेद 370 ने राज्य को मुख्यधारा से जोड़ने में बाधा डाली। यह भारत की संप्रभुता और एकीकरण के खिलाफ एक अलगाववादी सोच को प्रोत्साहित कर रहा था।

निरसन के कारण और प्रक्रिया:

1. कारण:

राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना।

आतंकवाद और अलगाववाद को खत्म करना।

विकास और निवेश के रास्ते खोलना।

2. प्रक्रिया:

भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान (आदेश) 2019 जारी किया गया।

संसद ने अनुच्छेद 370 को हटाने का प्रस्ताव पारित किया।

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत राज्य को दो हिस्सों में बांटा गया।

प्रभाव:

1. सामाजिक प्रभाव:

अलगाववादी सोच में कमी आई।

लोकतंत्र की पहुंच मजबूत हुई।

2. आर्थिक प्रभाव:

नई नीतियों और निवेश ने रोजगार के अवसर बढ़ाए।

पर्यटन और बुनियादी ढांचे का विकास तेज हुआ।

3. राजनीतिक प्रभाव:

क्षेत्रीय राजनीति में परिवर्तन।

नई राजनीतिक पार्टियों और नेताओं का उदय।

4. लद्दाख का परिदृश्य:

लद्दाख के विकास की संभावनाएं बढ़ीं।

बौद्ध बहुल क्षेत्र को अलग पहचान मिली।

चुनौतियां और समाधान:**1. चुनौतियां:**

शांति और स्थिरता बनाए रखना।

नागरिक अधिकारों और लोक प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार।

2. समाधान:

बेहतर प्रशासन और राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करना।

शिक्षा और रोजगार के लिए अधिक निवेश।

निष्कर्ष:

अनुच्छेद 370 का निरसन और उसके बाद की नीतियां भारत के क्षेत्रीय समावेश, विकास और स्थिरता के लिए एक ऐतिहासिक कदम हैं। हालांकि, इन बदलावों के साथ नई चुनौतियां भी सामने आईं। यह सरकार और जनता की सहभागिता पर निर्भर करता है कि वे इन बदलावों को कैसे एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाएं। लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के उज्ज्वल भविष्य के लिए सशक्त प्रशासन, व्यापक विकास योजनाओं और सामाजिक एकता की आवश्यकता है।

REFERENCES

1. पुरी, बलराज. जम्मू-कश्मीर: ऐतिहासिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य. नई दिल्ली: नेशनल बुक ट्रस्ट, 2005।
2. कुमार, अशोक. "अनुच्छेद 370 का निरसन: एक संवैधानिक विश्लेषण." भारतीय कानून समीक्षा, खंड 8, अंक 2, 2020, पृष्ठ 45-60।
3. वांगचुक, सोनम. "लद्दाख: एक नया राजनीतिक अध्याय." हिमालयन स्टडीज जर्नल, खंड 15, अंक 1, 2020, पृष्ठ 12-18।
4. खन्ना, ब्रिगेडियर संजय. जम्मू-कश्मीर में विकास और सुरक्षा के लिए नया दृष्टिकोण. चंडीगढ़: प्रकाश पब्लिकेशन, 2021।
5. मानवाधिकार आयोग. अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकारों की स्थिति. नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, 2021।
6. बाली, सुधीर. "अनुच्छेद 35ए और जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा." भारतीय संवैधानिक अध्ययन पत्रिका, खंड 5, अंक 3, 2018, पृष्ठ 30-40।
7. मिश्रा, अनिल. "जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन का कानूनी विश्लेषण." राष्ट्रीय कानून पत्रिका, खंड 12, अंक 1, 2020, पृष्ठ 22-28।
8. वर्मा, रश्मि. लद्दाख का विकास: संभावनाएं और चुनौतियां. शिमला: हिमालयन पब्लिकेशन, 2021।
9. चौधरी, नरेश. "अनुच्छेद 370 के निरसन के आर्थिक प्रभाव." भारतीय आर्थिक और सांख्यिकी पत्रिका, खंड 23, अंक 4, 2019, पृष्ठ 75-82।
10. पटेल, दीपा. "अनुच्छेद 370 का निरसन: जम्मू-कश्मीर की महिलाओं के अधिकार." सामाजिक न्याय पत्रिका, खंड 10, अंक 2, 2020, पृष्ठ 50-58।
11. सरकार, भारत. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019. नई दिल्ली: विधि एवं न्याय मंत्रालय, 2019।
12. मेहता, शशि. "लद्दाख और पर्यटन के नए आयाम." हिमालयी पर्यटन अध्ययन पत्रिका, खंड 9, अंक 2, 2020, पृष्ठ 30-40।
13. ठाकुर, रजनीश. जम्मू-कश्मीर का इतिहास और राजनीति. जयपुर: राजस्थान पब्लिकेशन, 2019।
14. शेख, राशिद. "कश्मीर में शांति स्थापना और नीति निर्माण." राष्ट्रीय सुरक्षा समीक्षा पत्रिका, खंड 15, अंक 1, 2020, पृष्ठ 90-102।
15. शर्मा, अजय. "अनुच्छेद 370 और उसके राजनीतिक प्रभाव." भारतीय राजनीति पत्रिका, खंड 27, अंक 1, 2019, पृष्ठ 42-50।
16. पंडित, राकेश. कश्मीर में अलगाववाद और विकास. श्रीनगर: यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, 2021।
17. मानवाधिकार वॉच. जम्मू-कश्मीर और मानवाधिकार: रिपोर्ट 2020. न्यूयॉर्क: मानवाधिकार वॉच, 2020।
18. जोशी, दीपक. "अनुच्छेद 370 और लद्दाख की नई प्रशासनिक संरचना." भारतीय प्रबंधन अध्ययन पत्रिका, खंड 11, अंक 4, 2020, पृष्ठ 55-62।

19. नायर, किरण. "कश्मीर और भारतीय एकीकरण की प्रक्रिया." राजनीतिक विज्ञान समीक्षा, खंड 18, अंक 3, 2019, पृष्ठ 110-122।
20. प्रसाद, राजीव. "जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के बाद की शिक्षा स्थिति." राष्ट्रीय शिक्षा पत्रिका, खंड 20, अंक 2, 2020, पृष्ठ 64-72।
21. शर्मा, मोनिका. लद्दाख का पर्यावरण और विकास. लेह: लद्दाखी पब्लिकेशन, 2021।
22. भल्ला, नीरा. "अनुच्छेद 370 के निरसन से सामाजिक प्रभाव." भारतीय समाज अध्ययन पत्रिका, खंड 14, अंक 1, 2020, पृष्ठ 40-50।
23. राजदान, मोहम्मद. "कश्मीर में निवेश और रोजगार के अवसर." व्यापार और विकास पत्रिका, खंड 8, अंक 2, 2020, पृष्ठ 25-35।
24. यादव, मनोज. "अनुच्छेद 370 और 35ए: सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य." भारतीय सांस्कृतिक अध्ययन पत्रिका, खंड 7, अंक 3, 2019, पृष्ठ 32-42।
25. भारतीय संसद. संविधान (आदेश) 2019. नई दिल्ली: लोकसभा सचिवालय, 2019।
26. जकारिया, तैयब. "कश्मीर में स्थिरता और विकास की संभावनाएं." दक्षिण एशिया अध्ययन पत्रिका, खंड 15, अंक 1, 2020, पृष्ठ 52-64।
27. देसाई, प्रिया. कश्मीर में महिलाओं की स्थिति और उनके अधिकार. पुणे: महाराष्ट्र पब्लिकेशन, 2021।
28. सरकार, भारत. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन: प्रभाव और नीति. नई दिल्ली: नीति आयोग, 2021।
29. पॉल, हरीश. "लद्दाख में बुनियादी ढांचे का विकास." इंफ्रास्ट्रक्चर स्टडीज जर्नल, खंड 9, अंक 4, 2020, पृष्ठ 20-30।
30. शर्मा, सुमन. कश्मीर और उसकी समस्याएं: एक विश्लेषण. अमृतसर: पंजाब पब्लिशिंग हाउस, 2021।